



अशोक गहलोत, मुख्यमंत्री



#राजस्थान\_सतर्क\_है



मजदूर दिवस से राजस्थान के **हर परिवार** को मिलेगा

# ₹5 लाख

का **निःशुल्क\*** स्वास्थ्य बीमा

# चिरंजीवी

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

## ₹3500 करोड़

का प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा वहन

### योजना की विशेषताएं

- राज्य के 765 सरकारी और 330 से अधिक संबद्ध निजी अस्पतालों में भर्ती होने पर 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा
- हार्ट, कैंसर, किडनी, डायलिसिस और कोविड-19 जैसी गंभीर बीमारियों सहित 1576 प्रकार के पैकेज और प्रोसीजर उपलब्ध
- भर्ती के 5 दिन पूर्व और डिस्चार्ज के बाद 15 दिन तक का चिकित्सा व्यय शामिल। अस्पताल में भर्ती होने पर ही लाभार्थी ले सकेंगे निःशुल्क उपचार का लाभ।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के लाभार्थियों को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। उन्हें पूर्व की भांति योजना का लाभ मिलता रहेगा।

जिन्होंने 30 अप्रैल 2021 तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उनको योजना का लाभ आज 1 मई 2021 से प्रारम्भ

31 मई 2021 तक रजिस्ट्रेशन करवाने वाले परिवारों को रजिस्ट्रेशन की दिनांक से लाभ तथा इसके बाद रजिस्ट्रेशन करवाने पर 1 अगस्त 2021 से लाभ मिलेगा

ई-मित्र केन्द्र पर निःशुल्क पंजीकरण

योजना के लिए परिवार का आकार एवं आय की सीमा नहीं है

सरकारी कार्मिकों को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि केन्द्र सरकार की CGHS की तर्ज पर राज्य सरकार द्वारा RGHS लागू की जा रही है

लाभार्थियों की संख्या और सुविधाओं के वृहद आकार के साथ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज लागू करने वाला राजस्थान अग्रणी राज्य है इलाज के लिये अस्पताल जाते समय अपना जनआधार कार्ड/जनआधार पंजीयन रसीद/चिरंजीवी बीमा पॉलिसी प्रमाण पत्र अवश्य साथ लेकर जायें

\*राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना-2011 के लाभार्थी, लघु एवं सीमान्त कृषक, संविदाकर्मी एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि भुगतान राज्य सरकार से प्राप्त करने वाले निराश्रित व असहाय परिवारों के प्रीमियम की राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। उपरोक्त श्रेणियों को छोड़कर शेष सभी परिवार 850 रुपये वार्षिक प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।